

**झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग  
अधिसूचना**


राँची, दिनांक 8/6/16.....

संख्या-16/सै0गा0अ0-01-05/2013 का. - 4843 / झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग से सम्बन्धित 2 अतिरिक्त लोक प्रदायी सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारों, द्वितीय अपील प्राधिकारों तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

**प्रदायी सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा की विवरणी**

| क्र० | प्रशासी विभाग का नाम                        | प्रदायी सेवा का नाम                | नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी               | नियत समय सीमा  | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी            | प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी   | द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 1    | Department of Industries, Mines and Geology | Land Allotment (Allotment of Plot) | Chief Executive Officer of the region | The Chief Executive Officer shall complete land allotment process within 75 days from the date of publication of notification of the vacant plot | Managing Director of the Authority | 60 Days                                   | Secretary/ Principal Secretary/ Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology | 90 Days                                     |
| 2    |   | Land Allotment (Surrender of Plot) | Chief Executive Officer of the region | 60 days from the date of submission of plan and necessary approvals  | Managing Director of the Authority | 60 Days                                   | Secretary/ Principal Secretary/ Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology | 90 Days                                     |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

4843

ज्ञापांक-16/सै0गा0अ0-01-05/2013 का.-

/ राँची, दिनांक 8/6/16

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


4843  
8/6/16

  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-16/सै0गा0अ0-01-05/2013 का.-

/ राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।